रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1058] नई दिल्ली, सोमवार, मई 13, 2013/वैशाख 23, 1935

No.1058] NEW DELHI, MONDAY, MAY 13, 2013/VAISAKHA 23, 1935

India Code

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2013

का.आ. 1203(अ).—राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (संशोधित) अधिनियम, 1995 (1995 का 44) के तहत यथा–संशोधित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा, 3(2), 4(1), और 4(4) के साथ पठित धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार श्री शेरिंग नामग्याल शानु को एतद्द्वारा उक्त आयोग का उनके द्वारा कार्यालय में पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए बतौर सदस्य नामित करती है।

[सं. 1–2/2012–एनसीएम]

वाई. पी. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2013

S.O. 1203(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 read with Sections 3(2), 4(1) and 4(4) of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992) as amended vide the National Commission for Minorities (Amendment) Act, 1995 (44 of 1995), the Central Government hereby nominates Shri Tsering Namgyal Shanoo as a Member of the said Commission for a period of three years from the date of assumption of office by him.

[No. 1-2/2012-NCM]

Y. P. SINGH, Jt. Secy.

1963 GI/2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.